133

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

AUTHENTICATED

(KAMAL NATH)
MINISTER OF STATE
ENVIRONMENT & FORESTS

RECRUITMENT RULES FOR THE EMPLOYEES OF CENTRAL ZOO AUTHORITY

Published in the Gazette of India
No. 53 dated 31 December, 1994

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

का.ग्रा. 3561.---केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38(ख) की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :--ये नियम इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हता आदि :--उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बात वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :--वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. मूल्यांकन और अनुश्रवण अधिकारी	1* (एक) 1994 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह क	3000-100-3500-द.रो.-125-4500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

62

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/कानूनी या स्वशासी निकायों के अधीन भारतीय वन सेवा के ऐसे अधिकारी/विज्ञानी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर चार वर्ष नियमित सेवा की है । (ख) वन्य जीव संरक्षण विषयक नीति और कार्यक्रम तैयार करने का अनुभव । टिप्पणी :—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. वैज्ञानिक अधिकारी	1* (एक) 1994 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह क	3000-100-3500-द.रो.-125-4500रु	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

136

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : ऐसे विज्ञानी जिनके पास किसी वैज्ञानिक संस्थान/विश्वविद्यालय से वन्य जीव-प्राणी विज्ञान कार्यकरण में मास्टर डिग्री है । टिप्पण— प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति को अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. वित्त अधिकारी	1* (एक) 1994 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह क	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : लेखा और लेखा परीक्षा सेवा, रक्षा लेखा सेवा, रेल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी :— (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) 2374–3500 रु. के वेतनमान में ऐसे लेखा अधिकारी जिन्होंने दो वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) 2000–3500 रु. के वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति का अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. निजी सचिव	1* (एक) 1994 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह ख	2000-60-2300 चयन द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12	13	14
4. प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/प्रोन्नति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/प्रोन्नति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/कानूनी संगठनों या स्वशासी संगठनों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी—— (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) 1400-2300/1640-2900 रु. के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में 8/5 वर्ष नियमित सेवा की है । बाह्य व्यक्तियों के साथ विभागीय अभ्यर्थी के संबंध में भी विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा । टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. लेखाकार	1* (एक) 1994 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह ख	1640-60 2600-द.रो. 75-2900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-- (i) जो अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार के सदृश पद धारण किए हुए हैं । या (ii) किसी संगठित लेखा विभाग से अधीनस्थ लेखा सेवा उत्तीर्ण लिपिक । टिप्पण :--प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतयां तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
6. वैयक्तिक सहायक	1*(एक) (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह ग	1400-40-1800 द.रो.-50-2-2300 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों/केन्द्र सरकार के अधिन स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में	लागू नही होता

139

66

	आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या समतुल्य । (ii) आशुलिपि में 100 शब्द और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । वांछनीय : किसी संगठन में आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव :	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं ।	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) : 1. सदस्य सचिव –अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (वन्य जीव) –सदस्य 3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी –सदस्य 4. वित्त अधिकारी –सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
7. उच्च श्रेणी लिपिक	*1 (एक) (1994)	समूह "ग"	1200-30-1560 द.रो -40-2040 रु.	अचयन	21 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों/केन्द्र सरकार के अधीन स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले में पांगी उपखंड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

8	9	10
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य: (ii) स्वतंत्र रूप से पत्राचार करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और जिनके पास अंग्रेजी/हिन्दी टंकण में 30/25 शब्द प्रति मिनट की गति है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति :—ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड में से जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि / प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):– 1. सदस्य सचिव —अध्यक्ष 2. अपर सचिव (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य 3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी —सदस्य 4. वित्त अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8. निम्न श्रेणी लिपिक	*1 (एक) (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "ग"	950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों/केन्द्र सरकार के अधीन स्वयतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	लागू नहीं होता

8	9	10
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता (ii) अंग्रेजी टाईपिंग में 30 शब्द और हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति ।	हां	दो वर्ष

11	12
रोजगार कार्यालय के माध्यम से 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 10 प्रतिशत रिक्तियाँ ऐसे समूह "घ" कर्मचारिवृंद में ज्येष्ठतासह उपयुक्तता के ग्राधार पर भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ग्रर्हताएं हैं और समूह घ में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।	लागू नहीं होता

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव —अध्यक्ष 2. ग्रपर निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य 3. ग्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनजातियों का एक ग्रधिकारी — सदस्य 4. वित्त ग्रधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9. स्टाफ कार	*1 (एक) (1994) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "ग"	950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु.	लागू नहीं होता	28 वर्ष से ग्रधिक नहीं (सरकारी सेवकों/केन्द्र सरकार के स्वयतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी ग्रनुदेशों या ग्रादेशों के ग्रनुसार शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : ग्रायु-सीमा ग्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में ग्रभ्यर्थियों से ग्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो ग्रसम, मेघालय, ग्ररुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले से पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के ग्रभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता

8	9	10
(i) आठवां स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य । (ii) जिनके पास हल्की और भारी यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है । (iii) नेमी अनुरक्षण, सर्विसिंग कार्य से सुपरिचित होना चाहिए और चालू मरम्मत करने के योग्य होना चाहिए ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा (रोजगार कार्यालय के माध्यम से)	लागू नहीं होता

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव —अध्यक्ष 2. अपर निदेशक (वन्य जीव), पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य 3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी —सदस्य 4. वित्त अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10. चपरासी	*3 (दो) (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "घ"	750-12-870-द.रो.-14-940 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों/केन्द्र सरकार के अधीन स्वयतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)	लागू नहीं होता

8	9	10
(i) आठवां स्तर उत्तीर्ण (ii) साइकिल चलाना आता हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा (रोजगार कार्यालयों के माध्यम से) ।	लागू नहीं होता

13	14
1. सदस्य सचिव —अध्यक्ष 2. अपर सचिव (वन्य जीव) —सदस्य 3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी —सदस्य 4. वित्त अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा.सं. 6-6/94-डब्लु एल-I]
सवश्वर झा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 21st December, 1994

S.O. 3561.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 63 read with sub-section (7) of section 38(B) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Officers and Other Employees of the Central Zoo Authority, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Zoo Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Environment and Forests, Department of Personnel and Training, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Evaluating and Monitoring Officer	*1 (One) 1994 *Subject to variation dependent on work load	Group A	Rs. 3000–100–3500–EB–125–4500	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

145

72

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer re-employment and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion committee exists what is iits composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	11	10	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Indian Forests Service Officers/ Scientists under the Central/ State Governments/Statutory or Autonomous Bodies:— (a) (i) holding analogour posts on regular basis; or (ii) with four years regular service in post in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent. (b) Experience in formulation of policies and programme on matters relating to Wildlife conservation. NOTE:—The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding ,56 years, as on the closing date of receipt of applications. (period of deputation shall ordinarily not to exceed four years).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Scientific Officer	*1 (One) 1994 *Subject to variation dependent on work load	Group A	Rs. 3000–100–3500–EB–125–4500	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation : Scientists having Master degree in Wildlife Biology working in any, Scientific Institutions/Universities. NOTE:—The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation, shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. (Period of deputation shall ordinarily not to exceed four years.)	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Finance Officer	*1 (One) 1994 *Subject to variation dependent on work load	Group A	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation : Officers of the Audit and Accounts service Defence Accounts Service, Railway Accounts Service:— (i) holding analogous post or (ii) Accounts Officer in the scale of Rs. 2374-3500 with 2 years regular service or (iii) Officers in the scale of Rs. 2000-3500 with 3 years regular service. NOTE:—The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. (Period of deputation shall ordinarily not to exceed three years).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Private Secretary	*1 (One) 1994 *Subject to variation dependent on work load	Group B	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Noti applicable	By transfer on deputation/promotion.	Transfer on deputation/Promotion : Official of the Central Government/State Governments/Statutory Organisations or Autonomous Organisations/Public Sector Undertaking— (i) holding analogous post or (ii) Stenographer in the pay scale of Rs. 1400-2300/Rs. 1640-2900 with 8/5 years regular service in the grade respectively. Departmental Candidate will also be considered alongwith outsiders and if selected for appointment to the post, it is to be treated as having been filled by promotion. NOTE:—The maximum age limit for appointment by trasfer	Not applicable	Not applicable

147

12
on deputation shall be, no exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. (Period of deputation shall ordinarily not to exceed three years).

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Accountant	*1 (One) 1994 *Subject to variation dependent on work load	Group B	Rs. 1640–60–2600–EB–75–2900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on Deputation : Officers under the Central Government: (i) holding analogous post of subordinate Accounts Service Accountant. (ii) Subordinate Accounts Service passed clerks from any of the organised Accounts Departments. NOTE:—The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. (Period of deputation shall ordinarily not to exceed three years).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
6. Personal Assistant	*1 (One 1994 *Subject to variation dependent on work load	Group C	Rs. 1400–40–1800–EB–50–2300	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants/ Employees of Autonomous Organisations under the Central Government upto 40 years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government).	Not applicable	Essential : (i) Graduate from a recognised University or equivalent. (ii) A speed of 100 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in typewriting. Desirable : 2 years experience as stenographer in any organisation. NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit

8
shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years.	By direct recruitment.' NOTE: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or leave or under other circumstances for a period of one year or more, may be filled up on transfer on deputation from officials of the Central/State Governments/Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits.	Not applicable	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation):— 1. Member Secretary—Chairman 2. Additional Director (WL)—Member 3. An Officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member 4. Finance Officer—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Upper Divisional Clerk.	*1 (One) 1994 *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C'	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Non-selection	Between 21 and 25 years (Relaxable for Government servants/ Employees of Autonomous Organisations under Central Government upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date	Not applicable	(i) A degree from a recognised University or equivalent. (ii) At least three year's experience in handling correspondence independently and having a speed of 30 words per minute/25 words per minute in English/Hindi typewriting.

6
prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: From the grade of Lower Division Clerk with eight years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation/ promotion) :— 1. Member Secretary —Chairman 2. Additional Director (WL) Ministry of Environment and Forests—Member 3. An officer belonging to Scheduled Casts/Scheduled Tribes—Member 4. Finance Officer—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
8. Lower Division Clerk.	*1 (One) (1994) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C'	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants/ Employees of Autonomous Organisations under the Central Government upto 40 years in accordance with the	Not applicable	(i) Matriculation or equivalent qualifications from a recognised University or Board. (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 per minute in Hindi.

6
instructions or orders issued by the Central Government). NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Siikkem, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

9	10	11	12	13	14
Yes	Two years	90% by direct recruitment through Employment Exchange. 10% of the vacancies shall be filled up from amongst the Group 'D' staff who possess matriculation or equivalent qualifications and have rendered 5 years regular service in Group 'D' on the basis of a seniority-cum-fitness.	Not applicable	Group 'C' Departmental (Promotion Committee (for considering confirmation). 1. Member Secretary —Chairman 2. Additional Director (WL) Ministry of Environment and Forests—Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member 4. Finance Officer—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
9. Staff Car Driver.	*1 (One) 1994 *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'C'	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable	Not exceeding 28 years. (Relaxable for Government servants/ Employees of Autonomous Organisation under the Central Government upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Not applicable	(i) 8th Standard passed or equivalent. (ii) Possession of a valid Driving Licence for light and heavy vehicles. (iii) Should be conversant with routine maintenance, servicing and be able to do running repairs.

152

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment (Through Employment Exchange).	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation). 1. Member Secretary—Chairman 2. Additional Director (WL) Ministry of Environment and Forests—Member 3. An Officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member 4. Finance Officer—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
10. Peon	*2 (Two) 1994 *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'D'	Rs. 750–12–870–EB–14–940	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 40 years for Government servants/ Employees of Autonomous Organisations under the Central Government in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Not applicable	(i) Passed 8th Standard. (ii) Knowing cycling.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment (Through Employment Exchange).	Not applicable	1. Member Secretary—Chairman 2. Additional Director (WL)—Member 3. An officer belonging Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member 4. Finance Officer—Member	Not applicable

[F. No. 6-6/94-WL-I]

SARWESHWAR JHA, Jt. Secy.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2299—2301

Dated 26-10-2002

अधिसूचना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 437.—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 ख की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 63 की धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) भर्ती नियम, 1994 की अनुसूची में, लेखाकार के पद से संबंधित क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
115 लेखाकार	1* (एक) (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह ''ख''	5500-175-9000 रु.	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रोन्नति :—ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुका है और जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में	समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :— (1) सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण —अध्यक्ष	लागू नहीं होता

12	13	14
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा जिसके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो। **प्रतिनियुक्ति :**—केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो पद धारण किए हुए हैं— (क) (1) नियमित आधार पर सहायक या अन्य समतुल्य पद; या (2) ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक या समतुल्य जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव हो, **टिप्पण:** (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय से एक अधिकारी जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी —सदस्य (4) वित्त अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण —सदस्य	

[फा. सं. 2-1/92 (सी जेड ए)]

जगमोहन शर्मा, संयुक्त निदेशक (वन्य जीव)

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र सं. 3561, तारीख 31 दिसंबर 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 18th September, 2002.

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) of Section 63, read with Sub-section (7) of Section 38B of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitment Rules, 1994, namely :—

1 (1) These rules may be called the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled to the Central Zoo Authority (Officers and Other Emplyees) Recruitment Rules, 1994, for serial number 5 relating to the post of Accountant and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(30	(4)	(5)
"5. Accountant	1* (one) (2002) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Rs. 5500-175-9000	Selection

..ge limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recuits
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up be various methods
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two Years	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, than what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion : Upper Division Clerk with eight years of regular service in the Central Zoo Authority having undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) and possess three year experience of cash, accounts and budget work. **Deputation :** Officers under the Central Government holding the post of :— (a) (i) Assistant or other equivalent post on a regular basis ; or (ii) Upper Division Clerk or equivalent with eight years regular service in the grade; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) and possess three years experience of cash, accounts and budget work; **Note** :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting promotion): (1) Member Secrearty, Central Zoo Authority—Chairman (2) An officer from the Ministry of Environment and Forests not below the rank of Deputy Secretary—Member (3) An officer belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe—Member (4) Finance Officer, Central Zoo Authority—Member	Not applicable".

[F.No. 2-1/92-CZA]

JAGMOHAN SHARMA, Jt. Director (WL)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of Indian vide number S.O. 3561 dated the 31st December, 1994.

MIGPRRND—3264 E&F/2002—100.

156

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 15th November 1995

S.O. 3131.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 63, read with sub-section (7) of section 38B of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Zoo Authority (Officers and Other Employees) Recruitment Rules, 1994, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Zoo Authority Officers and (Other Empoyees) Rerecruitment (Amendment) Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Zoo Authority (Offiers and Other Employees) Recruitment Rules, 1995;—

(a) in column 13 of seral number 6,7,8, 9 and 10, for the existing entry at item number 2, the following entry shall respectively be substituted, namely :—

"2 An Officer of the Ministry of Environment and Forests not below the rank of Deputy Secretary";

(b) after serial number 5 relating to the post of Accountant and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
"5A. Data Processing Assistant Grade 'A'	*1 (One) 1995 *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660/-.	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Between 18 and 30 years relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates) in case of Government Servants in accordancde with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Padesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Not applicable	Essential — (i) Degree of a recognised University with Science/Mathematics/Economics/Commerce/Statistics. (ii) Diploma/Certificate in Computer Application from a recognised institution. Desirable — One year experience in programming, System operations and analysis.

157

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	Two years	Direct recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or leave or under other circumstances for a period of one year or more, may be filled by transfer on deputation basis from officials of the Central/State Government/Public/Sector Undertakings/Autonomous Bodies; (a)(i) holding anologous post on regular basis or (ii) 7 with 4 years regular service in posts in the scale of 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) possessing the qualificat'ons prescribed for direct recruits under column 8.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Depatmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Member Secretary, Central Zoo Authority. —Chairman 2. Two Officer from the Ministry of Environment and Forests not below the rank of Deputy Secretary —Member 3. Finance Officer —Member	Not applicable."

[F. No. 11-10/95-AW]

SARWESHWAR JHA, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India vide number. S.O. 3561, dated, the 31st December, 1994.